**260 26 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) को प्रदर्शन–आधारित वेतन (पीआरपी) का भुगतान।**

अधोहस्ताक्षरित को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त में वर्णित विषय पर दिनांकः 07.09.2011 को आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय को लिखे गये पत्रांक ओ.एम. सं. 1–14020/1/2011–एचआर एवं तदुपरांत स्मरण कराए गए पत्रों के तथ्यों का अवलोकन करें।

2. सीपीएसई कार्यकारियों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करने के लिए कुछ दिशानिर्देशों को उपलब्ध कराया गया है और इसलिए स्थापित की गई प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यक्तिगत कार्यकारियों के 'अपार' मूल्यांकन को सम्बद्ध करने के लिए सभी प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि 'अपार' मूल्यांकन पीआरपी के भुगतान का निर्धारण करता है। 'अपार' रेटिंग की अनुपस्थिति में, यह संभव नहीं होगा कि वर्तमान दिशानिर्देशों के परिपेक्ष्य में पीआरपी का भुगतान किया जाए।

3. इस विभाग ने सीपीएसई के कार्यकारियों को पीआरपी के भुगतान के मामले में प्रक्रिया का पालन करने एवं एक कार्यकारी को; जिसने सीपीएसई में एक विशेष वित्तीय वर्ष में तीन माह से कम कार्य किया है, पीआरपी के भुगतान से सम्बन्धित आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय द्वारा उठाये गये प्रकरणों पर विचार किया है और जब उस समय के लिए किसी भी 'अपार' को रिकार्ड नहीं किया गया है। इस विभाग का यह दृष्टिकोण है कि उपरोक्त अनुच्छेद 2 में लाए गये अपवाद को केवल उन प्रकरणों में स्वीकृत किया जा सकता था जहाँ पर 'अपार' की प्रक्रिया निम्नलिखित कारणों से पूरा नहीं किया जा सका हैः–

क) 'अपार' के पहल से पूर्व, कार्यालय से पदत्याग और/या अधिकारी की सेवानिवृत्ति को सूचित किया जाना।

ख) 'अपार' के अधिकारियों को लिखे जाने से पूर्व, कार्यालय से पदत्याग और/या अधिकारियों की सेवानिवृत्ति को पुनर्विचार/स्वीकृति प्राधिकारी को सूचित किया जाना।

ग) उन प्रकरणों सहित, सम्बन्धित समयावधि के लिए 'अपार' का रिकार्ड नहीं किया जाना/उपलब्ध नहीं हो पाना, जहाँ पर 'अपार' के रिकार्डिंग की अवधि 3 माह से कम है।

तथापि, 'अपार' की अनुपलब्धता के लिए अन्य कारण भी हो सकते हैं और एक सुविचारित दृष्टिकोण ऐसे प्रकरणों में डीपीई द्वारा अपनाया जाएगा, यदि ऐसी परिस्थितियों को सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग द्वारा डीपीई के ध्यान में लाया जाता है।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सीपीएसई के एक बोर्ड स्तर के कार्यकारी की अपार रेटिंग, उपरोक्त अनुच्छेद 3 में दिये गए कारणों से सम्बन्धित समयावधि के लिए उपलब्ध नहीं है, तो सम्बन्धित बोर्ड स्तर के कार्यकारी की अपार रेटिंग को पीआरपी के भुगतान के उद्देश्य से, सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के लिए, सीपीएसई के एमओयू रेटिंग से एक स्तर नीचे की श्रेणी के रूप में लिया जा सकता है।

5. सम्बन्धित बोर्ड स्तर के कार्यकारियों को पीआरपी का भुगतान सम्बन्धित सीपीएसई के पारिश्रमिक समिति द्वारा विचार करने एवं अनुमोदन के लिए स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।

6. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त भुगतान का वितरण उस प्रकरण में लागू नहीं होगा जिसमें 'अपार' को पूरा नहीं किया जा सका है क्योंकि कार्यकारी की ओर से सूचित किए जाने में विलम्ब किया गया है (स्व–मूल्यांकन के स्वीकृति में, इत्यादि)।

7. इसे भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

**(**डीपीई का. ज्ञा. **सं. 2(68)/11–डीपीई (डब्ल्यूसी), दिनांक 31 दिसम्बर, 2012)**

*****